

चेक लिस्ट क्रमांक -26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. वन विकास निगम	चिकनी से प्रतापपुर
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	परिक्षेत्र का नाम	वन खंड	कक्ष क्रमांक /ख0क0
	(क) आरक्षित वन	-	-	-
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	घुई	चिरवनपाट	पी 226
		घुई	माटीगढा (पार्ट)	पी 102
			योग:-	3.552
		वन विकास निगम को हस्तांतरित क्षेत्र	चिकनी	पी 219
			योग:-	6.032
			कुल योग:-	9.584
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक		
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	निरंक		
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनो का प्रकार	साइट क्वालिटी	साल
				IVb
		घनत्व	0.5	
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	संलग्न है। आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 1176 वृक्ष खडे है।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	साल प्रजाति का प्राकृतिक पुनरुत्पादन अच्छा है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	प्रास्तावित पारेषण लाईन अम्बिकापुर वाइफनगर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग को ग्राम -चन्दौरा में पार करती है।		

  
B.P. Singh  
(I.F.S.)

Divisional Forest Officer  
Surajpur Division, Surajpur(C.G.)

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	प्रास्तावित पारेषण लाईन से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा 02 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	आवश्यकता नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	प्रास्तावित पारेषण लाईन में आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।  
आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- 132 के. व्ही. घिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन  
दिनांक :- 27-06-2019

  
**B.P. Singh**  
 (I.F.S.)  
 Divisional Forest Officer  
 Surajpur Division, Surajpur(C.G.)